

(45)

(25)

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

क्रमांकः ३। ॥ कार्मिक/अस्पताल/१९९/२७५३

दिनांकः ३०/१२/९९

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊटिंग बोर्ड यिकित्सा विनियम १९७० के अंतर्गत हाऊटिंग बोर्ड कर्मचारियों को यिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये कमला नगर हास्पिटल, लिंक पाल रोड, जोधपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य इत्तों के साथ यिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय को पूर्व अमेक्षा में जारी किया जाता है ।

संघिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

१. निजी संघिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. म., जयपुर
२. वरिष्ठ निजी सहायक-संघिव/विं. स. एवं मु. लै. ३/अति. मुख्य अभियंता...
३. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-जोधपुर/आवासोंय अभियंता छण्ड....
४. लेखाधिकारी, वित्त/भूगतान राज. आवासन मंडल, जयपुर
५. समस्त आधिकारी/समस्त प्रकोष्ठामु...।...
६. डा०राम योधल, कमला नगर हास्पिटल, लिंक पाल रोड, जोधपुर
७. रक्षित प्रावली/नोटिस बोर्ड

१८३
संघिव ३०७,